न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी – श्री विकास मोहन भाटी, R.A.S.

अपील संख्या 2025/01 दायर दिनांक 08.01.2025

अपीलार्थी बनाम् **प्रत्यर्थीगण**

1. रामेश्वरलाल पुत्र छगनलाल जाति गिवारीया निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना हाल निवासी लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राजस्थान

1. जानकी देवी पत्नी स्व. शिवराम जाति गिवारीया निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खुनखुना
3. हल्का पटवारी खुनखुना

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 08.08.2023 जो कि वाके सरहद खुनखुना स्टेशन में स्थित खसरा सं0 202, 274, 278 जिसके नया वर्तमान खसरा नम्बर 393, 504, 508 के संबंध में।

उपस्थित :–

1. श्री हरफुल राव वकील अपीलांट।
2. श्री तुफैल खान वकील प्रत्यर्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.06.2025

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके खुनखुना में स्थित पुराने खेत खसरा सं0 202 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 393 रकबा 0.7500 है. खसरा नम्बर 504 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 508 रकबा 2.9900 है. भूमि अवस्थित है जिनकी वर्तमान में जानकी देवी पत्नी शिवराम, रायमल पुत्र शिवराम व प्रभुराम के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलार्थी व उसके परिवारजन ने खसरा संख्या 508 (पुराना 278) में से अपने सम्पूर्ण सम्भावित हक हिस्से की भूमि का जानकी देवी पत्नी शिवराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड तर्कनामा तर्क कर दी थी जो उपपंजीयक कार्याल्य डीडवाना में दिनांक 20.07.2016 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 438 में पृष्ठ संख्या 39 कम संख्या 2016002311 पर पंजीवद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1179 के पृष्ठ संख्या 217 से 226 पर चस्पा किया गया। पटवारी हल्का द्वारा उक्त तर्कनामा के अनुसार के नामान्तरण दर्ज नहीं कर पुराने खसरा नम्बर 278 के साथ–साथ अन्य खसरा नम्बर 202, 274 (नये 393 व 504) की भूमि का प्रशासन गावों के संग अभियान 2023 में नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 08.08.2023 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया। उसी अनुसार खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 जानकी देवी के नाम दर्ज कर दी, जबकि उक्त खसरा संख्या 393 व 504 की भूमि में से कोई भूमि तर्क नहीं की गई थी। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से अपीलार्थी की ओर से उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध निम्न आधारों पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है कि–

अपील के आधार

पटवारी हल्का खुनखुना द्वारा तर्कनामा के अनुसार भूमि का नामान्तकरण दर्ज नहीं कर कानूनी व वाक्याती भूल की है। जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत खुनखुना द्वारा उक्त विधि विरूद्ध भरे गये गलत नामान्करण को स्वीकृत करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटी की है जो कि अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी व अन्य तर्ककर्ताओं द्वारा खसरा नम्बर 202, 274 (नये 393, 504) में से कोई तर्क नहीं की हैं, उसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान 2023 में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि जानकी देवी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

नामान्तकरण दर्ज कर दिया। जिससे अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत खुनखुना द्वारा विधि विरूद्ध किया गया नामान्तकरण अपीलार्थी के हितो तक प्रभावहीन व बेअसर हैं। हल्का पटवारी द्वारा तर्कनामा के अनुसार नामान्तकरण दर्ज नहीं कर उक्त त्रुटीपूर्ण नामान्तकरण दर्ज़ किया हैं जो विधि विरूद्ध है। जिसे अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

तत्समय के पटवारी द्वारा नामान्तरण भरते समय विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं की एवं कानूनी के विपरीत कार्य करते हुए नामान्तरण दर्ज किया हैं जो ग्राम पंचायत खुनखुना द्वारा स्वीकार किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर सादर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 08.08.2023 ग्राम पंचायत खुनखुना को अपास्त किया जाकर तर्कनामा (हकत्याग) दिनांक 20.07.2016 के अनुसार नामान्तरण भरा जाने का आदेश सादर फरमावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश हुए एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री तुफैल खान ने इकबालिया जवाब पेश किया ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस मुख्यतः उनकी अपील मीमो पर आधारित रही तथा उन्होनें अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

ग्रामपंचायत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सही रूप से विवेचना ना करते हुये नामान्तरण में पुराने खसरा संख्या 278 (नये 508) के साथ–साथ खसरा नम्बर 202 व 274 (नये 393 व 504) का नामान्तकरण भी प्रत्यर्थी संख्या 1 जानकी देवी के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिया जबकि हकतर्क केवल खसरा संख्या 278 (नये 508) का किया गया था। ग्रामपंचायत के आदेश में विधिक त्रुटि है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद खुनखुना स्टेशन के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या सं0 177 दिनांक 08.08.2023 में पारित ग्रामपंचायत खुनखुना का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त किया ज़ाता है। ग्राम पंचायत खुनखुना के खेत खसरा सं0 393, 504, 508 की भूमि में पुनः अवलोकन उपरान्त अपीलान्ट के नामान्तकरण की कार्यवाही करावें।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:00:48 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner